



प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा, पर्यटन भवन,
गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 22 अप्रैल, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्रांक-71/यूपीडा/08/147, दिनांक 06.04.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वृहद निर्माण कार्य हेतु बजट प्राविधानित धनराशि ₹0 98661.00 लाख का प्राविधान किया गया है। यूपीडा के पत्र दिनांक 06.04.2022 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि में से धनराशि ₹0 20000.00 लाख (₹0 दो सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखानुदान में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि ₹0 98661.00 लाख में से धनराशि ₹0 20000.00 लाख (₹0 दो सौ करोड़ मात्र) की स्वीकृति वृहद निर्माण क्रय मद में निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) धनराशि का आहरण यूपीडा के बैंक खाते में जमा की जायेगी।
- (2) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माणकर्ताओं को उनकी तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
- (3) यूपीडा द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय महालेखाकार कार्यालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (4) यदि आहरित धनराशि पर कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे राजकोष में किया जायेगा।
- (5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त आय व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं०. 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30.12.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,00,000 (रुपये दो अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 5054033370400 पूर्वान्चल एक्सप्रेस - वे परियोजना मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधित्व अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-16/2022/001-479-77-3-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
02. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
03. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ।
04. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
05. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-6, औद्योगिक विकास अनुभाग-2
06. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, नियोजन अनुभाग-4
07. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
08. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।